राजस्व अपील संख्या 20 / 2023
अनवान
साहिल मोहम्मद साकिर बनाम आयुक्त जो0वि0प्रा0 जोधपुर

13-02-2023

अपीलांट की ओर से यह अपील अधिवक्ता श्री मोहम्मद असलम अबासी के द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी(7) के तहत प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट उपस्थित, जिन्हें एडमिशन पर सुना गया। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्ततः इस प्रकार से है कि जो0वि0प्रा0 जोधपुर की खसरा संख्या 720, 723 पत्रकार कॉलोनी, ग्राम चौखा योजना में भूखण्ड सं0 23 की निलामी के जरिये दिनांक 21.08.2009 को श्रीमती नसरीन बानो पत्नी श्री आमिर चौहान को विक्रयसुदा भूखण्ड की लीजडीड, आवंटन / विक्रय–पत्र संख्या 780 दिनांक 01.04.2010 को जारी की गई। जिसका श्री राहिल चौहान एवं साहिल चौहान पुत्रान मो0 साकिर चौहान के पक्ष में नसीरन बानो द्वारा निष्पादित बेचाननामें के आधार पर नवीन पट्‌टा जारी करने का प्रार्थना पत्र उपायुक्त जोन–4, द्वारा प्रकरण में मूल लीजडीड / पट्‌टे के अभाव में नया पट्‌टा जारी नही करने संबंधी निर्णय / कार्यालय टिप्पणी, पैरा सं0 43 दिनांक 19.12.2022 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त बेचान को लेकर मा0 सिविल न्यायालय में दायर / लंबित वाद भी संलग्न दस्तावेज से प्रकट है। चूंकि उक्त प्रकरण जो0वि0प्रा0 की आवासीय योजना में निलाम / विक्रय सुदा भूखण्ड की लीजडीड का बेचाननामें के आधार पर नवीन पट्‌टा जारी करने संबंधी मामले को लेकर दायर की गई है। जो राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी(7) के तहत पोषणीय नही है तथा जेडीए के विरूद्ध इस प्रकार के मामले न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नही है। अतः उक्त अपील एडमिशन स्टेज पर ही खारीज की जाती है। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, नम्बर से कम की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

13/2/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर